THE INDIAN EVIDENCE ACT, 1872

Level -Hard

1.

Ans: b

Explanation: L/w Section 8, motive or preparation becomes important when a case depends only upon the Circumstantial evidence.

1.

उत्तर: बी

स्पष्टीकरण: L/w साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 हेतु या तैयारी महत्वपूर्ण बन जाती है, जब कोई मामला केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर निर्भर करता है।

2.

Ans: d

Explanation: L/w Section 11

2.

उत्तर: डी

स्पष्टीकरण: L/w धारा 11

3.

Ans: b

Explanation: L/w Section 18. The statements are inadmissible because under section 18, statements (either by parties interested or from whom parties to the suit derived their interest) are admissions only if they are made during the continuance of the interest of the persons making the statement.

3.

उत्तर: बी

स्पष्टीकरण: L/w धारा 18 बयान अग्राह्य हैं क्योंकि, धारा 18 के तहत बयान (या तो पक्षकार जिनका हित हैं या जिनके पक्ष में हित व्युत्पन्न हुआ है) केवल तभी स्वीकार किए जाते हैं जब वे बयान देने वाले व्यक्तियों के हित के चालू रहने के दौरान किए गए हैं।

4.

Ans: d

Explanation: In case Bharat Singh vs. Bhagirathi, [AIR 1966 SC 405] SC held that admissions duly proved are admissible in evidence irrespective of whether the party making them appeared in the witness-box or not, and whether that party when appearing as witness was confronted with those statements in case he made a statement contrary to those admissions.

4.

उत्तर: डी

स्पष्टीकरण: भारत सिंह बनाम भागीरथी, AIR 1966 SC 405]- सम्यक रूप से साबित स्वीकृतियाँ ग्राह्य साक्ष्य हैं, चाहे उन्हें बनाने वाली पार्टी कटघरे में पेश हुई हो या नहीं, और या गवाह के रूप में पेश होने पर उस पक्ष का सामना उन कथनों से हुआ हो जो उसने स्वीकृति के विपरीत एक कथन दिया था।

5.

Ans: b

Explanation: L/w Section 145 of Evidence Act "An admission can be proved without confronting the maker with his earlier statements". It was held by Hon'ble Justice Krishna Ayer in - Biswanath vs. Dwarka [AIR 1974 S.C].

www.linkinglaws.com

5.

उत्तर: बी

स्पष्टीकरण: L/w साक्ष्य अधिनियम की धारा 145 "निर्माता को उसके पहले के बयानों के साथ सामना किए बिना एक प्रवेश साबित किया जा सकता है" - माननीय श्री न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर द्वारा बिश्वनाथ बनाम द्वारका [AIR 1974 SC] में बताया गया ।

6.

Ans: a

Explanation: L/w Section 23 of Evidence Act which gives effect to the maxim 'interest reipublicae ut sit finis litium'.

6.

उत्तर: ए

स्पष्टीकरण: L/w साक्ष्य अधिनियम की धारा 23 जो कि अधिकतम 'ब्याज गणराज्य पर बैठो फिनिस लिटियम' को प्रभावी बनाती है।

7.

Ans: a

Explanation: L/w Section 32 of Evidence Act - total eight clauses are given. [Read clauses 5 to 8 from Bare Act.

7.

उत्तर: ए

स्पष्टीकरण: L/w साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 - कुल आठ खंड दिए गए हैं। [बेयर एक्ट से खंड 5 से 8 तक पढ़ें।

8.

Ans: c

Explanation: It may become relevant when L/w section 21(1) or section 157 of IEA.

8.

उत्तर: सी

स्पष्टीकरण: यह सुसंगत हो सकता है जब L/w धारा 21(1) या धारा 157।

9.

Ans: b

Explanation: Such cases are five in number –

- Dead.
- cannot be found.
- incapable of giving evidence.
- Presence cannot be obtained without an amount of delay or expense which the court consider unreasonable.
- Kept out of the way by the adverse party.

9.

उत्तर: बी

स्पष्टीकरण: ऐसे मामले संख्या में पाँच हैं –

- मर गया है ।
- मिल नहीं सकता है ।
- वह साक्ष्य देने के लिए असमर्थ है ।
- प्रतिपक्षी द्वारा उसे पहुँच के बाहर कर दिया गया है ।
- यदि उसकी उपस्थिति विलम्ब या व्यय के बिना,नहीं मिल सकता ।

10.

Ans: d

Explanation: L/w Section 33 of Evidence Act. The use of such evidence is limited by three provisions-

- Proceeding between same party or their representative in interest.
- Adverse party in the 1st proceeding the right and opportunity to cross-examine.
- Question in issue were substantially same in 1st and 2nd proceedings.

10.

उत्तर: डी

www.linkinglaws.com

स्पष्टीकरण: L/w साक्ष्य अधिनियम की धारा 33 के अनुसार ऐसे साक्ष्य का उपयोग तीन प्रावधानों द्वारा सीमित है-

- कार्यवाही उन्हीं पक्षकारों या उनके हित प्रतिनिधियों के बीच होना ।
- प्रथम कार्यवाही में प्रतिपक्षी को प्रतिपरीक्षा का अधिकार और अवसर होना ।
- विवाद्य प्रश्न प्रथम कार्यवाही में सारतः वही थे, जो द्वितीय कार्यवाही में है।

11.

Ans: d

Explanation: L/w Section 44 of Evidence Act. In either of four cases, a judgment in rem can be impeached.

11.

उत्तर: डी

स्पष्टीकरण: साक्ष्य अधिनियम की धारा 44 L/w चार में से किसी भी मामले में, रेम में एक निर्णय पर महाभियोग लगाया जा सकता है।

12.

Ans: b

Explanation: L/w Section 41 of Evidence Act. A previous judgment passed on a compromise is not a judgment in rem within the meaning of this section and is therefore, no bar to a subsequent suit. [Rahmat Ali Khan (Pir) vs. Musammat Babu Zuhra (1911) PR No. 14 of 1912 (Civil)].

12.

उत्तर: बी

स्पष्टीकरण: L/w साक्ष्य अधिनियम की धारा 41। एक समझौता पर पारित एक पूर्व न्याय इस खंड के अर्थ के भीतर एक निर्णय नहीं है और इसलिए, पश्चात्वर्ती वाद के मुकदमे के लिए कोई रोक नहीं है। [रहमत अली खान (पीर) बनाम मुसम्मत बाबू ज़ुहरा (1911) 1912 का पीआर नंबर 14 (सिविल)]

13.

Ans: d

Explanation: Official as well as to the private documents.

L/w the second paragraph of section 162 of the Evidence Act, which provides that when a document, in respect of which an objection to production or admissibility is raised, refers to matters of State, the court has no power to inspect the document. [With regard to other documents in respect of which privilege is claimed, the court, if thinks fit, may inspect the documents].

13.

उत्तर: डी

स्पष्टीकरण: आधिकारिक और साथ ही निजी दस्तावेजों के लिए। L/w साक्ष्य अधिनियम की धारा 162 का दूसरे पैराग्राफ, जो यह प्रावधान करता है कि कब एक दस्तावेज, जिसके संबंध में उत्पादन या स्वीकार्यता पर आपत्ति उठाई जाती है, राज्य के मामलों को संदर्भित करता है, अदालत को दस्तावेज का निरीक्षण करने की कोई शक्ति नहीं है। [अन्य दस्तावेजों के संबंध में जिनके संबंध में विशेषाधिकार का दावा किया गया है, न्यायालय, यदि ठीक समझे, दस्तावेजों का निरीक्षण कर सकता है।]

www.linkinglaws.com

14.

Ans: c

Explanation: L/w Section 163 of the Evidence Act is applicable to criminal trials as

well as to the civil actions. [Emperor vs. Makhan Lal Datta, (1939) 2 Cal 429].

14.

उत्तर: सी

स्पष्टीकरण: साक्ष्य अधिनियम की धारा 163 आपराधिक मुकदमे के साथ-साथ दीवानी कार्रवाइयों पर भी लागू होती है। [सम्राट बनाम माखन लाल दत्ता, (1939) 2 Cal. 429]

15.

Ans: c

Explanation: Section 161 of the Evidence Act. [In the matter of the petition of Jhubbo Mahton, (1882) 8 Cal 73 and 745].

15.

उत्तर: सी

स्पष्टीकरण: साक्ष्य अधिनियम की धारा 161. [झुब्बो महटन की याचिका के मामले में , (1882) 8 कैल 73 और 745]

16.

Ans: c

Explanation: L/w Section 9 of Evidence Act, statement IX, XI, XIII are wrong

16.

उत्तर: सी

स्पष्टीकरण: L/w साक्ष्य अधिनियम की धारा 9, कथन IX, XI, XIII गलत हैं।

17.

Ans: d

Explanation: L/w Section 10 of Evidence Act statements II, III, V are correct.

17.

उत्तर: डी

स्पष्टीकरण: L/w साक्ष्य अधिनियम की धारा 10 कथन II, III, V सही हैं।

18.

Ans: a

Explanation: L/w Section 11 of Evidence Act The plea of alibi - taken by the defence required to be proved only after prosecution has proved its case against the accused.
[Darshan Singh vs. State of Punjab, 2016 (158) AIC 223 SC]

18.

उत्तर: ए

स्पष्टीकरण: L/w साक्ष्य अधिनियम की धारा 11 बचाव पक्ष द्वारा ली गई बहाना की दलील - अभियोजन पक्ष द्वारा आरोपी के खिलाफ अपना मामला साबित करने के बाद ही साबित होने की आवश्यकता है।
[दर्शन सिंह बनाम पंजाब राज्य, 2016 (158) एआईसी 223 एससी]

19.

Ans: a

Explanation: L/w Section 15 of Evidence Act. A person's inner intentions are to be read and understood from his acts and omissions, taken as a whole, whenever a person's state of mind is relevant, 'external action reveals inner secrets' comes in play.

19.

उत्तर: ए

स्पष्टीकरण: L/w साक्ष्य अधिनियम की धारा 15 वह नहीं है जो किसी व्यक्ति के दिमाग में है, किसी व्यक्ति के आंतरिक इरादों को उसके कृत्यों और चूकों से पढ़ना और समझना है, जब भी किसी व्यक्ति की मन की स्थिति प्रासंगिक होती है, 'बाहरी कार्रवाई आंतरिक रहस्यों को प्रकट करती है' खेल में आता है।

www.linkinglaws.com

20.

Ans: a

Explanation: L/w Section 20 of Evidence Act. Formal admissions for the purpose of the trial may be made on pleadings and informal admissions may be made before or during the proceedings.

20.

उत्तर: ए

स्पष्टीकरण: L/w साक्ष्य अधिनियम की धारा 20 कानूनी कार्यवाही के उद्देश्य के लिए औपचारिक स्वीकृति दलीलों पर की जा सकती है और अनौपचारिक स्वीकृति कार्यवाही से पहले या उसके दौरान की जा सकती है।

21.

Ans: b

Explanation: L/w Section 17 & 21 of Evidence Act. statements II, IV, VIII are incorrect.

21.

उत्तर: बी

स्पष्टीकरण: L/w साक्ष्य अधिनियम की धारा 17 और 21 कथन II, IV, VIII गलत हैं।

22.

Ans: d

Explanation: L/w Section 30 of Evidence Act. statements I, III,VI, IX are incorrect.

22.

उत्तर: डी

स्पष्टीकरण: L/w साक्ष्य अधिनियम की धारा 30 कथन I, III, VI, IX गलत हैं।

23.

Ans: d

Explanation: L/w Section 105 of Evidence Act. Statements II, III, VII are incorrect.

23.

उत्तर: डी

स्पष्टीकरण: L/w साक्ष्य अधिनियम की धारा 105 कथन II,III, VII गलत हैं ।

24.

Ans: c

Explanation: L/w Section 106 of Evidence Act statements II, IV are incorrect.

24.

उत्तर: सी

स्पष्टीकरण: L/w साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 कथन II, IV गलत हैं

25.

Ans: b

Explanation: L/w Section 27 of Evidence Act So much of the information received from a person accused of an offence in custody of a police-officer as relates distinctly to the fact thereby discovered is admissible under section 27 of the Evidence Act and can be proved against him, but any statement made to a police-officer which connects the fact discovered with the offence charged is inadmissible.

25.

उत्तर: बी

स्पष्टीकरण: L/w साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में अपराध के आरोपी व्यक्ति से प्राप्त जानकारी, स्पष्ट रूप से उसके द्वारा खोजे गए तथ्य से संबंधित है, साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत स्वीकार्य है और उसके खिलाफ साबित किया जा सकता है, लेकिन पुलिस-अधिकारी को दिया गया कोई भी बयान, जो खोजे गए तथ्य को आरोपित अपराध से जोड़ता है, अस्वीकार्य है।

www.linkinglaws.com